राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी—श्री सुखाराम पिण्डेल, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या— 45/2023
जी0सी0एम0एस0 संख्या— 2023/141
दायर दिनांक— 24.07.2023
निर्णय दिनांक— 05.01.2024

1. मिश्री पुत्र सजना जाति भांभी नि0 सराना तहसील सरवाड़

.....प्रार्थी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ़ जिला अजमेर

.....अप्रार्थी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान—भू—राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति—:1. श्री विमल किशोर तिवाड़ी,अधि0 प्रार्थी
2 पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपगनढ़

—:निर्णय:—

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की एकल कब्जे काश्त एवं खातेदारी की कृषि भूमि दरङून्द पटवार हल्का निटूटी, भू—अभिलेख निरीक्षक रूपनगढ़ तहसील रूपनगढ़ के ख0न0 304/164 रकबा 0.3579 है0, ख0न0 306/164 रकबा 0.7483, ख0न0 307/164 रकबा 0.5703 है0, ख0न0 314/164 रकबा 0.2406 है0, ख0न0 320/134 रकबा 0.0210 है0, ख0न0 322/164 रकबा 0.1613 है0 व ख0न0 305/164 रकवा 0.7782 है0 भूमि अवस्थित है। उक्त कृषि आराजीयात सम्पूर्ण एकल खातेदारी में प्रार्थी के नाम दर्ज है। वाद वर्णित आराजीयात का भूमि एकीकरण विभाग की खतौनी एकीकरण जमावन्दी संवत् 2020 के अनुसार मूल ख0न0 164 रकबा 166 बीघा 14 विस्वा किस्म वारानी अव्वल 3 बीघा 10 बिस्वा, बारानी दोयम 55 बीघा 02 बिस्वा, बंजड़ अव्वल 108 बीघा 01 विस्वा, गैर मुमकिन 01 बिस्वा है। उक्त वाद वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड जमावन्दी में प्रार्थी की भूमि की किस्म सहवन से गैर मुमकिन नाला दर्ज कर दी गयी है जबकि प्रार्थी की उक्त वाद वर्णित आराजीयात की सही एवं वास्तविक किस्म भूमि एकीकरण विभाग की खतौनी एकीकरण जमाबंदी संवत् 2020 के अनुसार मूल ख0न0 164 रकवा 166 बीघा 14 विस्वा किस्म [illegible] अव्वल 3 बीघा 10 बिस्वा, बारानी दोयम 55 बीघा 02 विस्वा, वंजड़ अव्वल 108 बीघा 01 बिस्वा, [illegible] 01 बिस्वा के अनुसार दर्ज की जानी चाहिए थी। प्रार्थी की खातेदारी की भूमि की [illegible] खसरात की किस्म सहवन से गैर मुमकिन नाला वर्तमान जमावन्दी में कर दी गयी है [illegible] पुराने रिकार्ड [illegible] दुरूस्त करवा कर प्रार्थी की कृषि भूमि की सही किस्म मूल ख0न0 164 के रकबे में [illegible] किस्म के अनुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज कर दुरूस्ती करवाना चाहते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.01.11 13:24:32 IST
Reason: SelfAttested

05/01/24
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जरिये नोटिस की गयी। अप्रार्थी का नोटिस तामिलशुदा प्राप्त। तहसीलदार रूपनगढ (अप्रार्थी) की ओर से प्रकरण में जवाब प्रस्तुत किया गया। प्राप्त जवाब अनुसार वर्णित आराजी ख0न0 304/164, 306/164, ख0न0 307/164, ख0न0 314/164, 320/164, 322/164 कुल किता–6 कुल रकबा 2.0994 है0 व ख0न0 305/164 रकबा 0.7782 है0 के साबिक ख0न0 164 की एकीकरण जमाबन्दी संवत् 2020 में ख0न0 164 रकबा 166–14–00 बीघा की किस्म बारानी अव्वल 03–10–00, बारानी दोयम 55–02–00, बंजड़ अव्वल 108–01–00, गैर मुमकिन 00–01–00 दर्ज रिकार्ड थी। जमाबंदी संवत् 2025 से 2028 चौसाला में ख0न0 164 मी. रकबा 24–00–00 बीघा किस्म बारानी 2, ख0न0 164 मी. रकबा 08–'00–00 बीघा किस्म बारानी 2 व ख0न0 164 मी. रकबा 134–14–00 किस्म बारानी अव्वल 03–10–00 बारानी दोयम 23–02–00 बंजड़ अव्वल 108–01–00, गैर मुमकिन 00–01–00 दर्ज रिकार्ड थीं प्श्चातवर्ती वर्किंग जमाबन्दी संवत् 2041 में ख0न0 164/1 रकबा 91–14–00 बीघा किस्म नाले, ख0न0 164/6 रकबा 11–00–00 बीघा किस्म नाले जिम्मन नम्बर 01 सिवायचक खाते नदियां व नाले शीर्ष में दर्ज है। पश्चातवर्ती संवत् 2042 में 164/1 व 164/6 को सम्मिलित कर ख0न0 164/1 रकबा 102–14–00 बीघा दर्ज किस्म नाले दर्ज किया एव उक्त ख0न0 164/1 रकबा 102–14 बीघा किस्म नाले में से ख0न0 164/1/2 रकबा 10 बीघा गै0मु0 नाला व ख0न0 164/1/3 रकबा 10 बीघा गै0मु0 नाला दर्ज हैं। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र में उल्लेखित भूमि की किस्म गै0मु0नाला वर्किंग जमाबंदी संवत् 2041 से चली आ रही है। वकील प्रार्थी ने मूल ख0न0 164 में वर्णित किस्म के अनुसार सही व वास्तविक रिकार्डेड किस्म का इन्द्राज दुरूस्ती करवाने हेतु निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन व उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। प्रार्थी की उक्त वाद वर्णित भूमि राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन नाला दर्ज है, जिसकी प्रकृति प्रतिबंधित श्रेणी की किस्म होना पाया जाता है। प्रतिबंधित श्रेणी की किस्म की भूमि में किसी प्रकार का कोई किस्म संबंधी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 05.01.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

05/01/24

सुखाराम पिण्डेल
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.01.11 13:24:32 IST
Reason: SelfAttested